उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या- 10/2023 /545 /तीस-3-2023

लखनऊ : दिनांक: 17 फरवरी, 2023

अधिसूचना संख्या-510/तीस-3-2023 दिनांक 17.02.2023 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश राज्य के 71 जिलों में मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित मामलों का निस्तारण करने के लिए गठित 75 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामलों के आवंटन अथवा न्यायिक सदस्यों की सम्बद्धता की अधिकारिता मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रदान करने संबंधी अधिसूचना (अंग्रेजी रूपान्तर सहित) की प्रतिलिपि संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन ।

3- प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उ0प्र0 शासन ।

4- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

5- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।

6- परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

7- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

8- विधायी अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन ।

9- संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित द्वारा इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) के संस्करण में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 100 प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या- 510/तीस-3-2023
लखनऊ, दिनांक: 17 फरवरी, 2023

अधिसूचना

विशेष आदेश

चूँकि अधिसूचना संख्या-77/30-3-2019 दिनांक 09 जनवरी, 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के 71 जिलों में मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित मामलों का निस्तारण करने के लिए 75 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गठित किये गये थे;

और चूँकि राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में लम्बित मामलों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्याय प्रशासन के हित में है कि उक्त अधिकरणों का प्रशासनिक नियंत्रण, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधीन लाया जाय;

अतएव, अब, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59 सन् 1988) की धारा 165 की उपधारा (4) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल 75 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में मामलों की अपेक्षानुसार मामलों के आवंटन अथवा न्यायिक सदस्यों की सम्बद्धता की अधिकारिता मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,

ह0/-

(एल0 वेंकटेश्वर लू)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 510/XXX-3-2023 dated 17 February,2023:

SPECIAL ORDER
NOTIFICATION

No. 510/XXX-3-2023
Lucknow, Dated: 17 February,2023

WHEREAS vide Notification No-77/30-3-2019 dated 09 January, 2019 75 Motor Accident Claims Tribunals (MACT) were constituted in 71 districts in the State of Uttar Pradesh for disposal of cases related to motor accident claims;

AND WHEREAS in view of the pendency of cases with the Motor Accident Claims Tribunals in the State, it is in the interest of administration of justice that the administrative control of the said Tribunals be brought under the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad,

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (4) of section 165 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) the Governor is pleased to give the jurisdiction of distribution of cases or affiliation of Judicial Members to the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad according to the requirement of the cases in 75 Motor Accident Claims Tribunal.

By Order,

sd/-
(L. Venkateshwar Lu)
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।